न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

तारीख रज्जू– 12/09/23

अपील संख्या 28/23

1. लक्खी पुत्र श्री बृजलाल मीना आयु 73 साल जाति मीना निवासी ग्राम डिबस्या तहसील गंगापुर सिटी । —अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी । —रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 16.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 54/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07/10/2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम डिबस्या के आराजी ख0नं0 1013 रकबा 72 वर्गमीटर किस्म गै0मु0सड़क पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर अतिचारित कब्जे को नियमानुसार ध्वस्त किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने एकमात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान को आधार मानकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी का उक्त वाद आराजीयात पर अतिक्रमण करना बताया गया है। जबकि सत्यता यह है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी रजिस्टर्ड पट्टे शुदा जमीन पर ही मकान बनाकर निर्माण किया हुआ है। अदालत मातहत द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से अपीलार्थी के मकान का आंशिक भाग ध्वस्त किया गया है , साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अवगत कराया कि सड़क की चौड़ाई नापकरके मौके पर अवैध निर्मित पाटोरपोश एवं मकान के आंशिक भाग का अतिक्रमण हटाया गया है, साथ ही पेरोकार सरकार ने अपील अपीलार्थी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् सर्वप्रथम यह पाया गया कि अदालत मातहत द्वारा सुनवाई हेतु अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें अपीलार्थी स्वयं अदालत मातहत में उपस्थित हुआ तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को अपना पक्ष/जबाब रखने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अवगत कराया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी की रजिस्टर्ड पट्टे शुदा जमीन पर निर्मित मकान का आंशिक भाग ध्वस्त किया गया है। लेकिन अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अदालत मातहत द्वारा गै0मु0सड़क पर से अतिक्रमण न हटाकर आबादी भूमि पर निर्मित पट्टे शुद्धा मकान का अतिक्रमण हटाया हो, साथ ही अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय किस आधार पर गलत व न्याय के विरूद्ध है, उक्त आधार प्रस्तुत करने का भार स्वयं अपीलार्थी पर होता है, लेकिन उक्त प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे सिद्ध हो सके कि अदालत मातहत द्वारा हटाया गया अतिक्रमण गै0मु0सड़क का न होकर उनके पट्टेशुदा भूमि का है।

उक्त परिस्थितियों में हमारे विनम्र अभिमत में अपील अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है तथा अदालत मातहत के मिसल सं0 54/2022 में पारित निर्णय दिनांक 07.10.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक ......16.04.2024......को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)